



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29072021-228549
CG-DL-E-29072021-228549

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 302]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 28, 2021/श्रावण 6, 1943

No. 302]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 28, 2021/SHRAVANA 6, 1943

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 2021

मि. सं. 14-31/ 2018 (सी०पी०पी०-II).—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 26 की उप-धारा (1) के खंड (च) और (छ) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार के अनुमोदन से एतद् द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः:

1. लघु शीर्षक, अनुप्रयोग एवं प्रवर्तन : (1) इन विनियमों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का (उच्चतर शिक्षा में एकेडमिक क्रेडिट्स बैंक की स्थापना और संचालन) विनियम, 2021 कहा जाएगा।

(2) ये विनियम एक केंद्रीय अधिनियम, एक प्रांतीय अधिनियम या एक राज्य अधिनियम द्वारा या उसके तहत स्थापित या निगमित भारत में सभी विश्वविद्यालयों; विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 3 के तहत मानित विश्वविद्यालय के रूप में घोषित संस्थान; और इन विनियमों में परिभाषित स्वायत्त महाविद्यालयों पर लागू होंगे।

(3) वे भारत के राजपत्र में उनकी अधिसूचना की तारीख से प्रभावी होंगे।

2. परिभाषाएं:- इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा वांछित न हो

(क) "अधिनियम" का अर्थ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) है;

- (ख) "एकेडमिक बैंक खाता" का अर्थ एक विद्यार्थी द्वारा एकेडमिक क्रेडिट्स बैंक के साथ खोला गया और संचालित एक व्यक्तिगत खाता है, जिसमें विद्यार्थी द्वारा अध्ययन किए गए पाठ्यक्रमों से अर्जित सभी शैक्षणिक क्रेडिट निक्षेपित, मान्य, संचित, पोषित, अंतरित, पुष्टिकृत अथवा किसी उपाधि प्रदान वाली संस्था द्वारा डिग्री या डिप्लोमा या प्रमाणपत्र आदि प्रदान करने के प्रयोजन से विमोचित किए जाते हैं;
- (ग) "एकेडमिक क्रेडिट्स बैंक" का अभिप्राय एक अकादमिक व्यवस्था से है, जो एक डिजिटल या वर्चुअल या ऑनलाइन इकाई के रूप में है, जिसे आयोग द्वारा केंद्र सरकार के अनुमोदन से स्थापित किया गया है, ताकि विद्यार्थियों का शैक्षणिक खाताधारक बनना सुगम हो सके, जिसके फलस्वरूप क्रेडिट स्वीकृति, क्रेडिट संचयन, क्रेडिट अंतरण और क्रेडिट मोचन की औपचारिक प्रणाली के माध्यम से उपाधि प्रदान करने वाले वाले उच्चतर शिक्षा संस्थानों में या ऐसे संस्थानों के मध्य विद्यार्थियों की निर्बाध अंतरणीयता का मार्ग प्रशस्त हो;
- (घ) "शैक्षणिक लचीलापन" का अर्थ है, दृढ़ पाठ्यचर्या को हटाते हुए अध्ययन विषयों में पाठ्यक्रमों के रचनात्मक संयोग से अन्तर्निमेय व अभिनव पाठ्यविषयी संरचना के प्रावधान से अध्ययन हेतु बहुप्रवेश एवं बहुनिर्गम की सुविधा के साथ डिग्री या डिप्लोमा या स्नातकोत्तर डिप्लोमा या प्रमाण पत्र की पेशकश को सक्षम कर जीवन पर्यंत अधिगम की नवीन संभावनाओं का निर्माण करना;
- (ङ) "स्वायत्त महाविद्यालय" का अर्थ ऐसे किसी भी संस्थान से है, चाहे वह इस नाम से जाना जाता है या किसी अन्य नाम से, जिसे आयोग द्वारा संबद्ध विश्वविद्यालय और संबंधित राज्य सरकार की सिफारिशों पर स्वायत्तता का दर्जा दिया गया है, जिसके आधार पर यह अकादमिक और रचनात्मक लचीलेपन के साथ एक पाठ्यक्रम या शैक्षणिक कार्यक्रम संचालित करता है; एवं एक विश्वविद्यालय से कोई योग्यता प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय के विधान एवं अध्यादेशों के अनुरूप ऐसे पाठ्यक्रम या शैक्षणिक कार्यक्रम संचालित किए जाने तथा ऐसे पाठ्यक्रमों या शैक्षणिक कार्यक्रमों में अध्यायनरत विद्यार्थियों को संगत योग्यता प्रदान किए जाने बाबत परीक्षा कराये जाने हेतु वर्तमान में मान्यता प्राप्त है;
- (च) "आयोग" का वही अर्थ होगा जो अधिनियम की धारा 2 के खंड (क) में दिया गया है;
- (छ) "पाठ्यक्रम" का अर्थ उन विहित इकाइयों में एक से है जो एक निर्दिष्ट अध्ययन कार्यक्रम में समावेशित होती हैं;
- (ज) "क्रेडिट" का अभिप्राय एक सेमेस्टर (13-15 सप्ताह) की अवधि के लिए प्रति सप्ताह सिद्धांत-कक्षा के एक घंटे या एक घंटे के ट्यूटोरियल या दो घंटों के प्रयोगशाला कार्य के परिणामस्वरूप एक क्रेडिट प्रदान किए जाने की मानक गणना पद्धति से है; जो एक उच्चतर शिक्षण संस्थान, जिस पर ये विनियम लागू होंगे, प्रदान करता है; और इंटरनशिप के लिए इंटरनशिप के प्रति एक सप्ताह में एक क्रेडिट होगी, अधिकतम छह क्रेडिट की सीमा तक;
- (झ) "क्रेडिट-संचय" का अभिप्राय एकेडमिक क्रेडिट्स बैंक द्वारा 'एकेडमिक बैंक खाते' में विद्यार्थियों द्वारा निक्षेपित किए गए 'क्रेडिट' को स्थानांतरित करने और समेकित करने से है जो उनके द्वारा किसी पाठ्यक्रम में अध्ययन से अर्जित किए गए हों;
- (ञ) "क्रेडिट-मान्यता" का अभिप्राय एक पंजीकृत उच्च शिक्षण संस्थान के माध्यम से अर्जित क्रेडिट्स और ऐसे उच्चतर शिक्षा संस्थान द्वारा सीधे एकेडमिक क्रेडिट्स बैंक को हस्तांतरित क्रेडिट्स से है;
- (ट) "क्रेडिट-रिडेम्पशन" का अभिप्राय पंजीकृत डिग्री प्रदान करने वाले उच्चतर शिक्षा संस्थान द्वारा डिग्री या डिप्लोमा या प्रमाणपत्र या पीएचडी कोर्स वर्क आदि के लिए 'क्रेडिट आवश्यकताओं' को पूरा करने के उद्देश्य से एकेडमिक क्रेडिट्स बैंक में बनाए गए विद्यार्थियों के 'एकेडमिक बैंक खाते' में अर्जित 'क्रेडिट' को विनिमय करने की प्रक्रिया से है;
- (ठ) "क्रेडिट-अंतरण" का अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा पंजीकृत उच्चतर शिक्षा संस्थान भारत में किसी भी पंजीकृत उच्चतर शिक्षा संस्थान में नामांकित विद्यार्थियों द्वारा अध्ययन किए गए 'पाठ्यक्रमों' के सापेक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग क्रेडिट मानदंडों का अनुपालन करते हुये उसके व्यक्तिगत एकेडमिक बैंक खातों में निर्धारित 'क्रेडिट' प्राप्त करने या प्रदान करने में सक्षम हैं;

- (ड) "उच्चतर शिक्षा संस्थान" का अर्थ उन संस्थानों से है जिन्हें स्वयं या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 22 के अनुसार डिग्री प्रदान करने का अधिकार है;
- (ढ) "व्यावसायिक मानक निर्धारण निकाय" का अर्थ उच्चतर शिक्षा के प्रासंगिक क्षेत्रों में मानकों को निर्धारित करने और बनाए रखने के लिए संसद के एक अधिनियम के तहत निर्मित, स्थापित या गठित एक नियामक या प्रमुख निकाय है;
- (ण) "कार्यक्रम" या "अध्ययन-कार्यक्रम" का अर्थ अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (3) के तहत आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट उपाधियों के संगत लक्षित उच्च शिक्षा कार्यक्रम है;
- (त) "पंजीकृत उच्चतर शिक्षा संस्थान" का अर्थ एक योग्य उच्चतर शिक्षा संस्थान है जो इन विनियमों के तहत एकेडमिक बैंक ऑफ़ क्रेडिट द्वारा पंजीकृत है;
- (थ) "सांविधिक प्राधिकरण" का अभिप्राय उच्चतर शिक्षण संस्थानों के सांविधिक निकाय, जैसे कि शासी परिषद या कार्यकारी परिषद या सिंडिकेट या प्रबंधन बोर्ड या शैक्षणिक परिषद, से है जो संस्था की ओर से निर्णय लेने के लिए सक्षम हों;
- (द) "विद्यार्थी" का अर्थ है एक उच्चतर शिक्षा संस्थान में एक निर्दिष्ट क्रेडिट-आधारित पाठ्यक्रम या अध्ययन-कार्यक्रम में प्रवेशित और अध्ययनरत व्यक्ति।

3. एकेडमिक क्रेडिट्स बैंक. – (1) एकेडमिक क्रेडिट बैंक, इन विनियमों के माध्यम से बनाए गए उपयुक्त क्रेडिट ट्रांसफर तंत्र के साथ देश में उच्चतर शिक्षा संस्थानों में विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम ढांचे और अंतःविषय या बहु-विषयक शैक्षणिक गतिशीलता के लचीलेपन को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की सुविधा होगी; और जो मल्टीपल एंट्री-मल्टीपल एग्जिट के साथ-साथ कहीं, भी कभी भी और किसी भी स्तर की शिक्षा के सिद्धांत पर कार्य करते हुये विद्यार्थियों को डिग्री या डिप्लोमा या स्नातकोत्तर-डिप्लोमा या शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने के लिए अपना स्वयं का सीखने का रास्ता चुनने की सुविधा प्रदान करेगा।

- (2) एकेडमिक क्रेडिट्स बैंक उच्चतर शिक्षा के कई विषयों के एकीकरण को सक्षम करेगा, जिससे उन्नत रचनात्मकता, नवाचार, उच्चकोटि की सोच और विवेचनात्मक विश्लेषण सहित वांछित सीखने के परिणाम प्राप्त होंगे।
- (3) एकेडमिक क्रेडिट्स बैंक कई उच्चतर शिक्षा विषयों या संस्थानों में अध्ययन-कार्यक्रम में व्यापक विकल्पों के साथ पाठ्यचर्या में लचीलापन, तथा अनूठे और रुचिकर पाठ्यक्रमों के विकल्प प्रदान करके विद्यार्थियों को सार्थक स्वायत्तता प्रदान करेगा।

4. एकेडमिक क्रेडिट्स बैंक के उद्देश्य. – (1) देश भर में उच्चतर शिक्षा में शिक्षार्थी के अनुकूल दृष्टिकोण के साथ विद्यार्थी केंद्रितता को बढ़ावा देना और उच्चतर शिक्षा में अधिक अंतःविषय दृष्टिकोण को बढ़ावा देना।

- (2) विद्यार्थियों को उनकी अभिवृत्ति और ज्ञानेच्छा के अनुरूप सर्वोत्तम पाठ्यक्रमों या पाठ्यक्रमों के संयोजन का चयन करने में सक्षम बनाना।
- (3) विद्यार्थियों को संगत व्यवस्था और लागत के साथ अपनी पढ़ाई के गतिक्रम को चुनने की अनुमति देना।
- (4) विद्यार्थियों को एक विश्वविद्यालय या स्वायत्त महाविद्यालय के दृढ़, नियमित रूप से नियत डिग्री या पाठ्यक्रमों के बजाय अपनी डिग्री को तैयार करने या विशिष्ट आशोधन या विशेषज्ञताएं करने की अनुमति देना।
- (5) विद्यार्थियों को उनकी समय की प्राथमिकताओं के अनुसार अपनी डिग्री पूरी करने के लिए मल्टीपल एंट्री-मल्टीपल एग्जिट को सक्षम बनाते हुये, डिग्री या डिप्लोमा या स्नातकोत्तर डिप्लोमा या सर्टिफिकेट प्रोग्राम या पीएचडी हेतु कोर्स वर्क के लिए विभिन्न विषयों और उच्चतर शिक्षा संस्थान के मध्य विद्यार्थियों को अंतरणीयता प्रदान करना।
- (6) उन्नत अंतरणीयता के साथ परिसरों या विश्वविद्यालयों या स्वायत्त महाविद्यालयों में एकीकरण के माध्यम से वितरित और मिश्रित तरीके से होने वाली शिक्षण-अधिगम गतिविधियों को प्रक्रियात्मक रूप से प्रोत्साहन देना।
- (7) सभी के लिए, अर्थात्, पूर्णकालिक और अंशकालिक दोनों माध्यमों के औपचारिक और अनौपचारिक विद्यार्थियों के बीच आजीवन अधिगम को सुलभ करना,

- (8) ज्ञानेच्छा को परिपूरित करने के लिए, अपनी शैक्षणिक दिशाओं को चुनने और बदलने की स्वतंत्रता, ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ने और विद्यार्थियों को अपने जीवन के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए सही नींव और बिलडिंग ब्लॉक हासिल करने में मदद करने के लिए।

5. क्रेडिट के एकेडमिक बैंक की संगठनात्मक संरचना.- (1) एकेडमिक क्रेडिट्स बैंक अपने हितग्राहियों के रूप में विद्यार्थियों के साथ उच्च शिक्षण संस्थानों के एकेडमिक क्रेडिट डेटाबेस की एक डिजिटल या आभासी या ऑनलाइन संग्रहागार इकाई होगी।

- (2) एकेडमिक क्रेडिट्स बैंक को "राष्ट्रीय अकादमिक निक्षेपागार" की तर्ज पर स्थापित किया जाएगा; और उच्चतर स्तर की शिक्षा के सभी हितधारकों के उपयोग के लिए एकेडमिक क्रेडिट्स बैंक और इसके परिचालन तंत्र के सभी विवरण प्रदान करने वाली एक सक्रिय वेबसाइट होगी।
- (3) एकेडमिक क्रेडिट्स बैंक, वित्तीय उद्देश्यों के लिए वाणिज्यिक बैंकों की तरह शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए एक बैंक होगा, एकेडमिक खाताधारकों के रूप में विद्यार्थियों के साथ, एकेडमिक क्रेडिट्स बैंक क्रेडिट सत्यापन, क्रेडिट संचय, क्रेडिट हस्तांतरण या मोचन और अकादमिक उपाधियों के प्रमाणीकरण सहित विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करेगा।
- (4) एकेडमिक क्रेडिट्स बैंक द्वारा क्रेडिट या शैक्षणिक उपाधियों का प्रमाणीकरण, किसी भी तरह से, डिग्री और अन्य शैक्षणिक योग्यता प्रदान करने के लिए एकेडमिक क्रेडिट्स बैंक के साथ पंजीकृत उच्चतर शिक्षा संस्थानों की वैधानिक शक्तियों पर अतिक्रमण के रूप में नहीं माना जाएगा।
- (5) एकेडमिक क्रेडिट्स बैंक केंद्र सरकार या आयोग, जैसा सुसंगत हो, द्वारा अधिकृत निकाय के रूप में पंजीकृत उच्चतर शिक्षा संस्थान से विद्यार्थियों द्वारा अर्जित क्रेडिट के प्रमाणीकरण रिकॉर्ड प्रदान करने के लिए कार्य करेगा।
- (6) किसी भी स्नातक या स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा या प्रमाण पत्र अथवा पीएचडी कार्यक्रमों हेतु विहित पाठ्यक्रम के लिए वांछित क्रेडिट तथा अध्ययन के आवश्यक घटक पंजीकृत उच्चतर शिक्षा संस्थान द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।
- (7) एकेडमिक क्रेडिट्स बैंक प्रत्येक विद्यार्थी को डिजिटल रूप में द्वितीय या व्यक्तिगत एकेडमिक बैंक खाता खोलने की सुविधा प्रदान करेगा; और खाताधारक को एक विशिष्ट आईडी और मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) उपलब्ध कराई जाएगी।

6. क्रेडिट के एकेडमिक बैंक के कार्य.- (1) एकेडमिक क्रेडिट्स बैंक विद्यार्थी के एकेडमिक बैंक खाते में पंजीकृत उच्चतर शिक्षा संस्थान द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों के लिए क्रेडिट जमा करेगा; और ऐसे क्रेडिट की वैधता आयोग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए मानदंडों और दिशानिर्देशों के अनुसार होगी।

बशर्ते कि, एकेडमिक क्रेडिट्स बैंक सीधे विद्यार्थियों से पाठ्यक्रम क्रेडिट से संबंधित किसी भी दस्तावेज को स्वीकार नहीं करेगा और ऐसे दस्तावेजों को तभी मान्य मानेगा जब उन्हें क्रेडिट प्रदान करने वाले संबंधित पंजीकृत उच्चतर शिक्षा संस्थान द्वारा प्रेषित किया जाय।

- (2) एकेडमिक क्रेडिट्स बैंक इन विनियमों के तहत, हितग्राहियों के बीच अपनी भूमिका को बढ़ावा देने के अलावा, उच्चतर शिक्षा संस्थान को पंजीकृत करेगा, शैक्षणिक बैंक खातों के खोलने, समापन और सत्यापन को सुनिश्चित करेगा; और विद्यार्थियों के लिए क्रेडिट सत्यापन, क्रेडिट संचय, और क्रेडिट हस्तांतरण या मोचन भी सुनिश्चित करेगा।
- (3) राष्ट्रीय योजनाओं जैसे 'स्वयं', एनपीटीईएल, वी-लैब आदि या किसी निर्दिष्ट विश्वविद्यालय के माध्यम से ऑनलाइन मोड के माध्यम से विद्यार्थियों द्वारा किए गए पाठ्यक्रमों को भी क्रेडिट हस्तांतरण और क्रेडिट संचय के लिए मान्य किया जाएगा।
- (4) एकेडमिक क्रेडिट्स बैंक के कार्य दूरस्थ या गैर-संपर्क माध्यम तक सीमित नहीं हैं; बल्कि यह विभिन्न मौजूदा और भविष्य-संगत शिक्षण अधिगम मॉडलों के समामेलन तक विस्तारित होगा; तथा यह 'सिद्धांत' या 'प्रयोगिक' मूल्यांकन द्वारा विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त क्रेडिट्स को भी मान्य कर सकता है, यदि उन्हें प्रथक क्रेडिट पाठ्यक्रम के रूप में संचालित किया गया है।
- (5) पाठ्यक्रम सामग्री, पाठ्यक्रम लेनदेन, प्रस्तावित पाठ्यक्रमों के लिए शैक्षिक प्रौद्योगिकियों, उनके समय, निरंतर मूल्यांकन विधियों, उपस्थिति और मूल्यांकन के नए तरीकों के संबंध में मानदंड पंजीकृत उच्चतर शिक्षा संस्थान द्वारा

तय किए जाएंगे, और व्यापक नीति और राष्ट्रीय शिक्षा नीति -2020 के तहत समग्र, बहु-विषयक शिक्षा का दर्शन के अनुरूप होंगे।

- (6) विद्यार्थियों के हित में, एकेडमिक क्रेडिट्स बैंक के पास अर्जित और जमा किए गए क्रेडिट, डिग्री या डिप्लोमा या स्नातकोत्तर डिप्लोमा या प्रमाण पत्र के लिए मोचन हेतु क्रेडिट प्रदान करने वाले और क्रेडिट स्वीकृत करने वाले उच्चतर शिक्षा संस्थान द्वारा निर्दिष्ट अलग-अलग समयावधि के लिए अधिकतम सात साल की समय सीमा तक वैध होंगे।
- (7) एकेडमिक क्रेडिट्स बैंक आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद के दायरे में आने वाले सभी उच्चतर शिक्षा कार्यक्रमों को शामिल करेगा; यद्यपि अन्य विधाओं के व्यावसायिक कार्यक्रमों के अध्ययन के संबंध में क्रेडिट्स को उपयुक्त व्यावसायिक मानक निर्धारण निकाय और केंद्र सरकार के अनुमोदन से शामिल किया जा सकता है।
- (8) एकेडमिक क्रेडिट्स बैंक उन विद्यार्थियों के लिए क्रेडिट मान्यता और क्रेडिट रिडेम्पशन प्रक्रिया की सुविधा भी प्रदान करेगा, जो अपनी व्यक्तिगत पसंद के अनुसार सभी ऐसे पाठ्यक्रमों को चुन सकते हैं जो किसी विशेष विषय क्षेत्र में न आते हों किन्तु एक पंजीकृत उच्चतर शिक्षा संस्थान द्वारा प्रदान किए जाने वाली स्नातक डिग्री के लिए कुल क्रेडिट आवश्यकता को पूरा करते हैं; और उच्चतर शिक्षा संस्थान द्वारा प्रदान की जाने वाली ऐसी स्नातक डिग्री आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की जा सकती है।
- (9) पंजीकृत उच्चतर शिक्षा संस्थान में विशिष्ट उच्चतर शिक्षा कार्यक्रम के हिस्से के रूप में विद्यार्थी द्वारा अपनी रुचि आधारित पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त, विद्यार्थियों को निर्धारित पाठ्यक्रम से परे अपनी पसंद के इस तरह के डिग्री कार्यक्रम के लिए भी स्वतंत्रता होगी, और उनके क्रेडिट्स संबंधित शैक्षणिक बैंक खाते में अर्जित होंगे।
पंजीकृत उच्चतर शिक्षा संस्थान निर्धारित शैक्षणिक कार्यक्रम से परे विद्यार्थियों द्वारा किए गए पाठ्यक्रमों के संबंध में अर्जित क्रेडिट के सापेक्ष डिप्लोमा या प्रमाण पत्र प्रदान कर सकते हैं।
- (10) व्यावसायिक डिग्री या डिप्लोमा या स्नातकोत्तर डिप्लोमा या प्रमाणपत्र कार्यक्रम संचालित कर रहे पंजीकृत उच्चतर शिक्षा संस्थान से 'कौशल-पाठ्यक्रम' के माध्यम से विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए क्रेडिट्स भी एकेडमिक क्रेडिट्स बैंक के माध्यम से क्रेडिट के संग्रहण और मोचन के लिए पात्र हैं।
- (11) शैक्षणिक वर्ष 2021-2022 के दौरान या उसके उपरांत पंजीकृत उच्चतर शिक्षा संस्थान में 'पाठ्यक्रम' से प्राप्त क्रेडिट ही एकेडमिक क्रेडिट्स बैंक के माध्यम से क्रेडिट ट्रांसफर, क्रेडिट संग्रहण और क्रेडिट रिडेम्पशन के लिए पात्र हैं।
- (12) एकेडमिक क्रेडिट्स बैंक के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, आयोग एकेडमिक क्रेडिट्स बैंक को ऐसी वित्तीय और प्रशासनिक सहायता प्रदान कर सकता है, जैसा वह उचित समझे।

7. एकेडमिक क्रेडिट्स बैंक के साथ पंजीकरण करने के लिए उच्चतर शिक्षा संस्थान के अनुमोदन के लिए पात्रता मानदंड.-

- (1) विनियम 1 के उप-विनियम (2) को संतुष्ट करने वाले विश्वविद्यालय और स्वायत्त महाविद्यालय जो राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद द्वारा 'ए' ग्रेड स्तर से अथवा राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड द्वारा न्यूनतम 675 अंकों के साथ कम से कम तीन कार्यक्रमों के लिए प्रत्यायित हो अथवा जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सूचीबद्ध प्रत्यायन एजेंसी से समरूप प्रत्यायन या ग्रेड या प्राप्तांक प्राप्त हो। तथापि यदि संस्थान द्वारा संचालित कार्यक्रमों की संख्या तीन से कम हो तो प्रत्येक कार्यक्रम में 675 अथवा इससे अधिक अंक प्राप्त हों या राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) या भारत सरकार द्वारा समय-समय पर स्थापित किए जाने वाले समतुल्य मूल्यांकन और प्रत्यायन निकाय द्वारा शीर्ष 100 रैंक किए गए संस्थान, या वह उच्च शिक्षण संस्थान जो क्वाक्रेलेली साइमंड्स (क्यूएस) या टाइम्स हायर एजुकेशन (टीएचई) द्वारा विश्व रैंकिंग के शीर्ष 1000 में शुमार हों; श्रेष्ठ संस्थान; भारत सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय महत्व के संस्थान एकेडमिक क्रेडिट्स बैंक के साथ पंजीकरण के लिए पात्र हैं।
- (2) एकेडमिक क्रेडिट्स बैंक के साथ पंजीकरण के समय प्रत्यायन या रैंकिंग की स्थिति मान्य होनी चाहिए।

- (3) उच्चतर शिक्षा संस्थान को एकेडमिक क्रेडिट्स बैंक के साथ पंजीकरण के लिए आवेदन करने के लिए अपने संबंधित सांविधिक प्राधिकरणों जैसे शासी या कार्यकारी परिषद या सिंडिकेट या प्रबंधन बोर्ड या अकादमिक परिषद आदि से अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
- (4) पूर्ण डिग्री कार्यक्रमों में प्रवेश के अलावा पंजीकृत उच्चतर शिक्षा संस्थानों को विद्यार्थियों को एकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश देना होगा:

बशर्ते, किसी भी उच्चतर शिक्षा संस्थान के पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों) में अतिसंकुलता से बचने के लिए, ऐसे उच्चतर शिक्षा संस्थान को ऐसे पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों) में अतिरिक्त सीटें रखने की अनुमति होगी, जो उपयुक्त व्यावसायिक मानक निर्धारण निकाय द्वारा पूर्वानुमोदन के अधीन होगी।

बशर्ते कि, ऐसे पाठ्यक्रमों के संबंध में, जो किसी व्यावसायिक मानक निर्धारण निकाय के दायरे में नहीं आते हैं, पंजीकृत उच्चतर शिक्षा संस्थान, आवश्यक बुनियादी ढांचे की उपलब्धता के अधीन, अपने सांविधिक अथॉरिटी के अनुमोदन से अतिरिक्त सीटों का सृजन कर सकता है।

बशर्ते यह भी कि, पंजीकृत उच्चतर शिक्षा संस्थान विशेष रूप से एकेडमिक क्रेडिट्स बैंक योजना के उद्देश्य के लिए 'पाठ्यक्रम' का एक सेट भी संचालित कर सकते हैं।

- (5) पंजीकृत उच्चतर शिक्षा संस्थान के पास ऑडियो-विजुअल सुविधाओं, ई-संसाधनों, वर्चुअल कक्षाओं और स्टूडियो आदि के संदर्भ में उपयुक्त शैक्षिक बुनियादी ढांचा होगा, और विशेष रूप से ओडीएल या ऑन-लाइन पाठ्यक्रमों या कार्यक्रमों के सुचारु संचालन के लिए उच्च बैंडविड्थ इंटरनेट कनेक्टिविटी एवं रूबरू सिद्धांत या व्यावहारिक या प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों हेतु प्रासंगिक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियमों और या विधियों या उच्चतर शिक्षा संस्थान के अध्यादेशों के तहत समय-समय पर निर्दिष्ट अन्य बुनियादी सुविधाएं होंगी।
- (6) एक पंजीकृत उच्चतर शिक्षा संस्थान के पास अपनी वेबसाइट पर एक वेबपेज होगा जिसमें एकेडमिक क्रेडिट्स बैंक की सुविधा का विवरण, सभी पंजीकृत उच्चतर शिक्षा संस्थान की सूची, विद्यार्थियों को सुविधा का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए दिशा-निर्देश या मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी), एकेडमिक क्रेडिट्स बैंक की वेबसाइट के लिंक के साथ उपलब्ध होगा।

8. एकेडमिक क्रेडिट्स बैंक कार्यान्वयन पद्धति.- (1) एकेडमिक क्रेडिट्स बैंक अनिवार्य रूप से एक क्रेडिट-आधारित, और अत्यधिक लचीली, विद्यार्थी-केंद्रित सुविधा है।

- (2) पंजीकृत उच्चतर शिक्षा संस्थान, अपने सांविधिक अथॉरिटी के अनुमोदन से, अन्य बातों के साथ-साथ, पाठ्यक्रम पंजीकरण, पाठ्यक्रम अर्हताओं, अंतर-विषयक एवं बहु-विषयक पाठ्यक्रमों के लिए स्वीकृति, ऐसे पाठ्यक्रमों के लिए दिए जाने वाले क्रेडिट, क्रेडिट अंतरण और अन्य अनुमोदित उच्चतर शिक्षा संस्थानों से क्रेडिट स्वीकृति और दिए जाने वाले ग्रेड की प्रकृति आदि से संबंधित मौजूदा अध्यादेशों में संशोधन करेंगे।
- (3) पंजीकृत उच्चतर शिक्षा संस्थान विद्यार्थियों को एक या अधिक पंजीकृत उच्चतर शिक्षा संस्थानों द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों में से विद्यार्थी द्वारा चुने गए पाठ्यक्रमों का उपयोग करके अपनी खुद की डिग्री को अनुकूलित या डिजाइन करने के लिए प्रोत्साहित और सक्षम करेंगे।

बशर्ते, विद्यार्थी को डिग्री या डिप्लोमा या प्रमाणपत्र प्रदान करने वाले उच्चतर शिक्षा संस्थान से क्रेडिट का कम से कम पचास प्रतिशत अर्जित करना आवश्यक होगा।

बशर्ते कि, विद्यार्थी को डिग्री या डिप्लोमा या प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए आवश्यक कोर विषय क्षेत्र में आवश्यक संख्या में क्रेडिट अर्जित करने की आवश्यकता होगी, जैसा कि डिग्री प्रदान करने वाली उच्चतर शिक्षा संस्थान द्वारा निर्दिष्ट किया गया है, जिसमें विद्यार्थी नामांकित है।

- (4) उपविनियम (3) में प्रदान की गई एकेडमिक क्रेडिट्स बैंक की सुविधा के तहत लचीलेपन का लाभ उठाने वाले विद्यार्थी न कि पूरे 'अध्ययन-कार्यक्रम' के लिए, जिसके कारण पंजीकृत उच्चतर शिक्षा संस्थान द्वारा डिग्री प्रदान की जाती है, वरन अपनी पसंद और अभिवृत्ति के अनुसार केवल एकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने के भी हकदार हैं ताकि उन्हें क्रेडिट संग्रहण सुलभ हो सके।

- (5) एकेडमिक क्रेडिट्स बैंक विनियम 7 के तहत निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले उच्चतर शिक्षा संस्थानों की एक परिवर्तनशील ऑनलाइन निर्देशिका बनाए रखेगा।
- (6) क्रेडिट परिभाषा, क्रेडिट संचय, क्रेडिट ट्रांसफर, क्रेडिट रिडेम्पशन के संदर्भ में एकेडमिक क्रेडिट्स बैंक की सेवाओं के उपयोग के विवरण के संबंध में प्रत्येक पंजीकृत उच्चतर शिक्षा संस्थान एकेडमिक क्रेडिट्स बैंक के साथ एकेडमिक बैंक खाता खोलने के इच्छुक सभी विद्यार्थियों को विद्यार्थी परामर्श और मार्गदर्शन प्रदान करेगा; साथ ही विद्यार्थियों के एकेडमिक बैंक खाते खोलने, बंद करने और वैधीकरण के संबंध में सहयोग और मार्गदर्शन प्रदान करेगा जहां ऐसे अनुरोधों की सिफारिश एकेडमिक क्रेडिट्स बैंक के साथ पहले से ही पंजीकृत मूल विश्वविद्यालय या स्वायत्त महाविद्यालयों के माध्यम से की जाती हैं।
- (7) विद्यार्थियों द्वारा अर्जित क्रेडिट्स को एकेडमिक क्रेडिट्स बैंक के साथ संबंधित एकेडमिक बैंक खाते में जमा किया जाएगा और किसी भी डिग्री या डिप्लोमा या प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए क्रेडिट्स के कम्प्यूटेशन के उद्देश्य से क्रेडिट प्रदान करने वाले संस्थानों द्वारा निर्दिष्ट और शैक्षणिक योग्यता प्रदान करने वाले पंजीकृत उच्चतर शिक्षण संस्थानों द्वारा इसकी स्वीकृति के अनुरूप अधिकतम सात वर्षों के लिए मान्य होंगे।

उपरोक्त शैक्षणिक योग्यता को प्रदान करने के लिए किसी भी क्रेडिट को भुनाए जाने के बाद, ऐसे क्रेडिट को संबंधित विद्यार्थी के एकेडमिक बैंक खाते से अपरिवर्तनीय रूप से डेबिट कर दिया जाएगा।

- (8) जहां कोई विद्यार्थी निर्दिष्ट डिग्री या डिप्लोमा या परास्नातक डिप्लोमा या प्रमाण पत्र प्रदान किए जाने हेतु पंजीकृत उच्चतर शिक्षा संस्थान द्वारा अनुमोदित क्रेडिट की कुल संख्या और क्रेडिट की प्रकृति की पर्याप्तता के मानदंडों को पूरा करता है, तो विद्यार्थी उच्चतर शिक्षा संस्थान द्वारा इस तरह की उपाधि के लिए पात्र होगा।
- (9) एक बार उपयोग या भुनाने के बाद, किसी विद्यार्थी द्वारा अर्जित क्रेडिट को किसी अन्य औपचारिक शैक्षणिक योग्यता को प्राप्त करने के लिए पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता है।
- (10) सांविधिक प्राधिकरणों के अनुमोदन से, एकेडमिक क्रेडिट्स बैंक द्वारा एक पंजीकृत उच्चतर शिक्षा संस्थान को उसके द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रमों की संरचना बहु-विषयक या अंतर-विषयक उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मूल पाठ्यक्रम या मूल ऐच्छिक या मुक्त ऐच्छिक या कौशल वृद्धि ऐच्छिक या क्षमता वृद्धि ऐच्छिक आदि के रूप में उचित क्रेडिट आवश्यकताओं के साथ विभाजित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
- (11) शैक्षणिक योग्यता आदि प्रदान करने में, पंजीकृत उच्चतर शिक्षा संस्थान आयोग या व्यावसायिक मानक निर्धारण निकाय द्वारा समय-समय पर निर्धारित क्रेडिट्स की संख्या और समयावधि के संबंध में सुसंगत मानदंडों और दिशानिर्देशों का पालन करेंगे।

बशर्ते कि, समय अवधि के संबंध में, एकेडमिक क्रेडिट्स बैंक सुविधा के तहत शैक्षणिक योग्यता पाने वाले विद्यार्थी, निर्धारित क्रेडिट अर्जित करने के बाद, अधिकतम एक सेमेस्टर की छूट का लाभ उठा सकते हैं, जबकि पाठ्यक्रम या कार्यक्रम की अवधि दो साल या अधिक (चार सेमेस्टर या अधिक) की हो।

- (12) एक पंजीकृत उच्चतर शिक्षा संस्थान अपने पाठ्यक्रम शुल्क को उस पाठ्यक्रम के क्रेडिट की संख्या के आधार पर निर्धारित कर सकता है जिसके लिए विद्यार्थी नामांकित है।
- (13) उच्चतर शिक्षण संस्थानों द्वारा इन विनियमों के अधीन पात्र संस्थानों के रूप में एक पंजीकरण शुल्क देय होगा, जो केंद्र सरकार या आयोग, जैसा भी मामला हो, की पूर्व-स्वीकृति से निर्धारित किया जाएगा।

9. विश्वविद्यालयों और एकेडमिक क्रेडिट्स बैंक द्वारा निगरानी, सहयोग और गुणवत्ता आश्वासन.- (1) यह पंजीकृत उच्चतर शिक्षा संस्थान की जिम्मेदारी होगी कि वे विश्वविद्यालय स्तर पर और उनके संबद्ध स्वायत्त महाविद्यालयों के स्तर पर एकेडमिक क्रेडिट्स बैंक कार्यक्रम के परिवर्धन व परिचालन की निगरानी करें।

- (2) पंजीकृत उच्चतर शिक्षा संस्थान एकेडमिक क्रेडिट्स बैंक सुविधा के कामकाज की गुणवत्ता में सुधार के लिए और एकेडमिक क्रेडिट्स बैंक के सहयोग से समग्र या बहु-विषयक शिक्षा को बढ़ावा हेतु शिक्षक या कर्मचारी प्रशिक्षण, परामर्श, शैक्षणिक और प्रशासनिक लेखा परीक्षा और अन्य साधन प्रस्तुत करेंगे और जो कि संकाय विकास कार्यक्रम

या गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम या व्यावसायिक विकास कार्यक्रम या प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम के रूप में हो सकता है।

- (3) पंजीकृत विश्वविद्यालय या स्वायत्त महाविद्यालय के स्तर पर एकेडमिक क्रेडिट्स बैंक के कार्यान्वयन का गुणवत्ता आश्वासन संबंधित विश्वविद्यालय या स्वायत्त महाविद्यालय द्वारा या तो आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (आईक्यूएसी) या पंजीकृत उच्चतर शिक्षा संस्थान द्वारा विनिश्चित किसी अन्य उपयुक्त संरचित तंत्र के माध्यम से विकसित किया जा सकता है।
- (4) प्रत्येक पंजीकृत उच्चतर शिक्षा संस्थान अपनी वेबसाइट पर एकेडमिक क्रेडिट्स बैंक के संगत में अपनी गतिविधियों के वार्षिक प्रतिवेदन के साथ ही गुणवत्ता आश्वासन, गुणवत्ता संपोषण और गुणवत्ता उननयन के लिए किए गए उपायों का विवरण अपलोड करेगा।
- (5) विद्यार्थियों की शिकायतों या अपीलों को दूर करने के लिए केंद्र सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या एकेडमिक क्रेडिट्स बैंक के स्तर पर और एकेडमिक क्रेडिट्स बैंक के साथ पंजीकृत प्रत्येक एचईआई के स्तर पर एक 'एकेडमिक क्रेडिट्स बैंक-परिवेदना निवारण तंत्र' होगा।
10. **उल्लंघन के परिणाम.-** यदि कोई पंजीकृत उच्चतर शिक्षा संस्थान इन विनियमों के तहत निर्धारित शर्तों या आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहता है, तो आयोग, सुनवाई का एक उचित अवसर प्रदान करने के बाद, आयोग द्वारा निर्धारित समय के भीतर कमी को ठीक करने के लिए संस्थान को निर्देश दे सकता है; और ऐसा करने में उच्चतर शिक्षा संस्थान की ओर से विफल रहने पर, एकेडमिक क्रेडिट्स बैंक से ऐसे संस्थान का पंजीकरण समाप्त कर दिया जाएगा; और, इसके अतिरिक्त, अधिनियम के तहत अनुदान प्रदान करना बंद कर दिया जाएगा, जहां ऐसे अनुदान संस्था के लिए अनुदेय हैं।
11. **व्याख्या.-** इन विनियमों की व्याख्या के संबंध में किसी भी प्रश्न पर निर्णय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा लिया जाएगा, और उसका निर्णय इस मामले में अंतिम और बाध्यकारी होगा।

प्रो. रजनीश जैन, सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

[विज्ञापन-III/4/असा./167/2021-22]

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th July, 2021

F. No. 14-31/2018 (CPP-II).—In exercise of the powers conferred by clauses (f) and (g) of sub-Section (1) of Section 26 of the University Grants Commission Act, 1956, the University Grants Commission with the approval of the Central Government hereby makes the following regulations, namely:-

1. **Short title, Application and Commencement.-** (1) These Regulations may be called the University Grants Commission (Establishment and Operation of Academic Bank Of Credits in Higher Education) Regulations, 2021.
(2) These Regulations shall apply to all Universities in India established or incorporated by or under a Central Act, a Provincial Act or a State Act; the institutions Deemed-to be Universities declared as such under Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956); and the Autonomous Colleges as defined in these regulations.
(3) They shall come into force from the date of their notification in the Gazette of India.
2. **Definitions.-** In these Regulations, unless the context otherwise requires,-
(a) “Act” means the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956);

- (b) “Academic Bank Account” means an individual account with the Academic Bank of Credits opened and operated by a student, to which all academic credits earned by the Student from course(s) of study are deposited, recognised, maintained, accumulated, transferred, validated or redeemed for the purposes of the award of degree/diploma/certificates etc. by an awarding institution;
- (c) “Academic Bank of Credits” means an academic service mechanism as a digital or virtual or online entity established by the Commission with the approval of the Central Government, to facilitate students to become its academic account holders, thereby paving the way for seamless student mobility between or within degree-granting Higher Educational Institutions through a formal system of credit recognition, credit accumulation, credit transfers and credit redemption to promote distributed and flexible teaching-learning;
- (d) “Academic Flexibility” means the provision for innovative and interchangeable curricular structures to enable creative combinations of Courses or Programmes in Disciplines of study leading to Degree or Diploma or Post Graduate Diploma or Certificate of Study offering multiple entry and multiple exit facilities, while removing rigid curricular boundaries and creating new possibilities of life-long learning;
- (d) “Autonomous college” means any institution, whether known as such or by any other name, accorded with autonomous status by the Commission upon the recommendations of the affiliating university and the State Government concerned, by virtue of which it provides for a course or programme of study with academic and innovative flexibility for obtaining any qualification from a university; and which, in accordance with the Statutes and Ordinances of such university, is recognised as competent to provide for such course or programme of study and present students undergoing such course or programme of study for the examination leading to the award of such qualification;
- (f) “Commission” shall have the same meaning as assigned to it in clause (a) of section 2 of the Act;
- (g) “Course” means one of the specified units which go to comprise a specified programme of study;
- (h) “Credit” means the standard methodology of calculating one hour of theory or one hour of tutorial or two hours of laboratory work, per week for a duration of a semester (13-15 weeks) resulting in the award of one credit; which is awarded by a higher educational institution on which these regulations apply; and, Credits’ for internship shall be one credit per one week of internship, subject to a maximum of six credits;
- (i) “Credit-accumulation” means the facility created by Academic Bank of Credits in the Academic Bank Account opened by students in order to transfer and consolidate the credits earned by them by undergoing Courses;
- (j) “Credits-recognition” means the credits earned through a registered Higher Educational Institution and transferred directly to the Academic Bank of Credits by such Higher Educational Institution;
- (k) “Credit-redemption” means the process of commuting the accrued credits in the Academic Bank Account of the students maintained in ABC for the purpose of fulfilling the credits requirements for the award of Degrees or Diplomas or Certificates or Course work for Ph.D. programme etc., by the registered degree-awarding Higher Educational Institutions;
- (l) “Credit-transfer” means the mechanism by which the Registered Higher Educational Institutions are able to receive or provide prescribed credits to individual Academic Bank Accounts in

adherence to the University Grants Commission credit norms for the ‘course/s’ undertaken by students enrolled in any Registered Higher Education Institution within India;

- (m) “Higher Education Institutions” means the institutions which are empowered to award degrees by themselves or in accordance with section 22 of the Act;
- (n) “Professional Standards Setting Body” means a regulatory or principal body created, established or constituted under an Act of Parliament for determining and maintaining standards in the relevant areas of higher education;
- (o) “Programme” or “Programme of study” means a higher education programme pursued for a degree specified by the Commission under sub -section (3) of section 22 of the Act;
- (p) “Registered Higher Education Institution” means an eligible Higher Educational Institution which is registered by the Academic Bank of Credits, under these regulations;
- (q) “Statutory authority” means statutory bodies of higher educational institutions, such as the Governing Council or Executive Council or Syndicate or Board of Management or Academic Council, competent to take decisions on behalf of the institution.
- (r) “Student” means a person admitted to, and pursuing, a specified credit-based course/programme of study in a higher education institution.

3. Academic Bank of Credits.- (1) Academic Bank of Credits, shall be a national-level facility to promote flexibility of curriculum framework and interdisciplinary or multidisciplinary academic mobility of students across Higher Education Institutions in the country with appropriate credit transfer mechanism created through these regulations and shall facilitate students to choose their own learning path to attain a Degree or Diploma or Post Graduate diploma or academic qualification, working on the principle of multiple entry-multiple exit as well as any-time, any-where, and any-level learning.

- (2) Academic Bank of Credits shall enable the integration of multiple disciplines of higher learning, leading to the desired learning outcomes including enhanced creativity, innovation, higher order thinking and critical analysis.
- (3) Academic Bank of Credits shall provide significant autonomy to students by providing extensive choice of courses for a programme of study, flexibility in curriculum, novel and engaging course options across a number of higher education disciplines or institutions.

4. Objectives of Academic Bank of Credits.-(1)To promote student centricity with learner-friendly approaches in higher education across the country and promote a more inter-disciplinary approach in higher education.

- (2) To enable students to select the best courses or combination of courses to suit their aptitude and quest for knowledge.
- (3) To permit students to choose a pace for their studies along with the associated logistics and costs.
- (4) To allow students to tailor their degrees or make specific modifications or specialisations rather than undergoing the rigid, regularly prescribed degree or courses of a single university or autonomous college.
- (5) To enable multiple entry-multiple exit for students to complete their degrees as per their time preferences, providing mobility across various disciplines and HEIs for Degree or Diploma or Post Graduate Diploma or Certificate programme or Course work for the Ph.D. programme.
- (6) To support, procedurally, the teaching-learning activities to happen in a distributed and blended manner through integration across campuses or universities or autonomous colleges with increased mobility.

- (7) To facilitate lifelong learning amongst all, i.e., formal and informal students from both full-time and part-time modes.
- (8) To satisfy the students' quest for knowledge, freedom to choose and change their academic directions, connect different domains of knowledge and help them acquire the right foundations and building blocks to pursue their life goals.

5. Organisational Structure of Academic Bank of Credits.- (1) Academic Bank of Credits shall be a digital or virtual or online store-house entity of academic credit data base of Higher Education Institution with students as its stakeholder.

- (2) Academic Bank of Credits shall be established, on the lines of the National Academic Depository shall have a dynamic website providing all details of Academic Bank of Credits and its operational mechanism for the use of all stakeholder of higher education.
- (3) Academic Bank of Credits shall be a bank for academic purposes, on the pattern of commercial banks for financial purposes, with students as academic account holders to whom, the Academic Bank of Credits shall provide a variety of services including credit verification, credit accumulation, credit transfer or redemption and authentication of academic awards.
- (4) Authentication of credits or academic awards by Academic Bank of Credits shall not, in any way, be construed as encroachment on the statutory powers of Higher Education Institutions registered with Academic Bank of Credits to award degrees and other academic qualifications.
- (5) ABC shall act as the body empowered by the Central Government or the Commission, as the case may be, to provide authenticated records of credits earned by students from Registered Higher Education Institutions.
- (6) The requirement of credits as well as essential components of study for award of any Under Graduate or Post Graduate or diploma or certificate, or the Course work requirements for the Ph.D. programmes shall be as prescribed by Registered HEIs.
- (7) Academic Bank of Credits shall provide to every student the facility to open unique or individual Academic Bank Account in digital form; and the account holder shall be provided with a unique ID and access to the Standard Operating Procedure (SOP).

6. Functions of Academic Bank of Credits. -(1) Academic Bank of Credits shall deposit Credits awarded by Registered Higher Education Institutions, for Courses pursued therein, in the Academic Bank Account of the student and the validity of such credits shall be as per norms and guidelines issued by the Commission from time to time:

Provided that ABC shall not accept any document pertaining to course credits directly from students and shall entertain such documents as valid only when the same are transmitted by the respective, Registered Higher Education Institution awarding the credits.

- (2) ABC shall register Higher Education Institutions under these regulations, ensure the opening, closure and validation of Academic Bank Accounts and shall also ensure credit verification, credit accumulation, and credit transfer or redemption for students; apart from promoting its role among stakeholder.
- (3) Courses undergone by the students through the online modes through National Schemes like SWAYAM, NPTEL, V-Lab etc. or of any specified university, shall also be considered for credit transfer and credit accumulation.
- (4) The functions of ABC are not limited to distance or a non-contact mode; and shall extend to amalgamation of various existing and futuristic teaching-learning models and it may also consider

credits obtained by students in assessments for theory or practicals, if the same are offered as separate credit courses.

- (5) The norms in respect to the curriculum content, curriculum transaction, educational technologies for the courses offered, their timing, continuous evaluation methods, attendance and novel methods of assessment shall be as decided by the Registered Higher Education Institution, and shall be consistent with the overarching policy and philosophy of holistic, multidisciplinary education under National Education Policy-2020.
- (6) In the interests of students, credits earned and deposited with ABC shall be valid for the purpose of redemption to a degree or diploma or Post Graduate diploma or certificate, for varying duration as specified by the credit awarding and credit accepting Higher Education Institution subject to a maximum duration of seven years.
- (7) Academic Bank of Credits shall encompass all higher education programmes coming under the purview of the Commission, the All India Council of Technical Education, and the National Council of Teacher Education; credits in professional programmes of study in respect of other disciplines may be included with the approval of the appropriate professional standards setting body and the Central Government.
- (8) Academic Bank of Credits shall also facilitate the credit recognition and credit redemption process for students who may opt, according to their individual choice, for all courses, not falling in any particular subject domain, but fulfilling the total credits requirement for the Under Graduate degree to be awarded by a Registered Higher Education Institution and such Under Graduate degree to be awarded by the Higher Education Institution may be specified by the Commission.
- (9) In addition to the choice based courses to be undertaken by the student as a part of the specific higher education programme in Registered Higher Education Institutions, students shall also have freedom to take additional courses of their aptitude, beyond the curriculum prescribed for such degree programme, and accrue credits in their respective Academic Bank Account:

Provided that Registered Higher Education Institutions may award diploma or certificate against credits accrued in respect of courses undertaken by students beyond the prescribed curriculum.

- (10) Credits obtained by students by undergoing Skill-courses from Registered Higher Education Institutions offering vocational Degree or Diploma or Post Graduate Diploma or Certificate programmes are also eligible for accrual and redemption of credits through the Academic Bank of Credits.
- (11) Credits obtained by undertaking Courses in Registered HEIs during or after the academic year 2021-2022 alone are eligible for Credit transfer, Credit accrual and Credit redemption through Academic Bank of Credits.
- (12) For carrying out the purposes of the Academic Bank of Credits, the Commission may provide such financial and administrative assistance to the Academic Bank of Credits, as it may deem fit.

7. Eligibility Criteria for approval of HEIs to register with Academic Bank of Credits.-(1)

Universities and Autonomous Colleges satisfying sub-regulation (2) of regulation 1, which are accredited by either National Assessment and Accreditation Council with minimum 'A' Grade or by National Board of Accreditation for at least three programme(s) with a minimum score of 675 individually (however, if the number of programme(s) being run by the Institution is less than three, then each of the programmes should secure 675 or more marks); or top 100 National Institutional Ranking Framework (NIRF) or similar Assessment and Accreditation body(ies) to be established by Government of India from time to time or those Indian Higher Education Institutions appearing in top 1000 world ranking of Quacquarelli Symonds (QS)/ Times Higher

Education (THE); Institutions of Eminence or Institutions of National Importance as declared by Government of India are eligible to register with Academic Bank of Credits.

- (2) Accreditation or ranking status must be valid at the time of registration with Academic Bank of Credits.
- (3) HEIs shall obtain approval from their respective statutory authorities such as the Governing or Executive Council or Syndicate or Board of Management or Academic Council etc., to apply for registration with Academic Bank of Credits.
- (4) Registered Higher Education Institutions shall be required to admit students to individual courses, in addition to their admissions to full degree programmes:

Provided that in order to avoid overcrowding in a course(s) of any Higher Education Institution, such Higher Education Institution shall be permitted to have additional (supernumerary) seats in such course(s), subject to prior approval by the appropriate professional standards setting body:

Provided further that in respect of courses, not coming under the purview of any professional standards setting body the Registered Higher Education Institution may, subject to availability of required infrastructure, create supernumerary seats with the approval of its statutory authorities:

Provided also that, Registered Higher Education Institution may also offer a set of Courses, exclusively for the purpose of the Academic Bank of Credits Scheme.

- (5) Registered Higher Education Institution shall have the appropriate educational infrastructure in terms of audio-visual facilities, e-resources, Virtual classrooms and studios etc., and specifically high bandwidth internet connectivity to support ODL or On-line courses or programmes and other infrastructural facilities for face to face theory or practical/ or training courses as specified, from time to time, under the relevant University Grants Commission Regulations and/or Statutes or Ordinances of the Higher Education Institution.
- (6) A Registered Higher Education Institution shall have a webpage on its website containing details of the facility of Academic Bank of Credits, list of all Registered Higher Education Institutions, guidelines or Standard Operating Procedures for the students to utilise the facility effectively, along with a link to the website of Academic Bank of Credits.

8. Academic Bank of Credits Implementation methodology. - (1) Academic Bank of Credits is essentially a credit-based, and highly flexible, student-centric facility.

- (2) Registered Higher Education Institutions shall, with the approval of their statutory authorities, amend the extant Ordinances relating to, inter alia, Course registration, Course requirements, acceptance for inter-disciplinary and multi-disciplinary courses, Credits to be offered to such courses, Credit transfers and Credits acceptance from other approved Higher Education Institutions, nature of grades to be awarded etc.
- (3) Registered Higher Education Institutions shall encourage and enable students to customise or design their own degrees utilising Courses selected by the student from among courses offered by one or more of the Registered Higher Education Institutions:

Provided that, the student shall be required to earn at least fifty per cent of the credits from the Higher Education Institution awarding the degree or diploma or certificate:

Provided further that, the student shall be required to earn the required number of credits in the core subject area necessary for the award of the degree or Diploma or Certificate, as specified by the degree awarding Higher Education Institution, in which the student is enrolled.

- (4) Students availing flexibility under the facility of ABC provided in sub-regulation (3) are entitled to subscribe only to Courses of their choice and aptitude, so as to enable them to accumulate credits and not to the entire Programme of study leading to the award of a degree by the Registered Higher Education Institution.
- (5) The ABC shall maintain a dynamic online directory of Higher Education Institutions which satisfy the eligibility criteria stipulated under regulation 7.
- (6) Every Registered Higher Education Institution shall provide student counselling and guidance to all students desirous of opening an Academic Bank Account with Academic Bank of Credits, in regard to the details of utilisation of the services of Academic Bank of Credits in terms of Credit definition, Credit accumulation, Credit transfer, Credit redemption as well as in respect of the opening, closure and validation of Academic Bank Accounts of students where such requests are recommended through the parent University or Autonomous colleges which are already registered with Academic Bank of Credits.
- (7) Credits earned by students shall be deposited in the respective Academic Bank Account with ABC and shall be valid for not exceeding seven years as specified by the credit awarding institutions and subject to its acceptance by the Registered Higher Education Institution awarding academic qualifications, for the purpose of commutation of credits for the award of any Degree or Diploma or Certificate:

Provided that once any credit is redeemed for the award of the aforementioned academic qualification, such credit shall be irrevocably debited from the respective student's Academic Bank Account.

- (8) Where a student fulfils the norms of sufficiency of total number of credits and of the nature of credits, approved by a Registered Higher Education Institution for the award of the specified Degree or Diploma or Post Graduate Diploma or Certificate, the student shall be eligible for such award by that Higher Education Institution.
- (9) Once used, or redeemed, Credits earned by a student cannot be re-used for the award of any other formal academic qualifications.
- (10) With the approval of its statutory authorities, a Registered Higher Education Institution shall be encouraged by Academic Bank of Credits to apportion the structure of courses offered by it as core courses or core electives or open electives or skill enhancement electives or ability enhancement electives etc. with appropriate credit requirements, in order to promote multi-disciplinary or inter-disciplinary higher education.
- (11) In awarding academic qualifications etc., Registered Higher Education Institutions shall follow the norms and guidelines, in regard to the number of credits and duration of time, stipulated from time to time by the Commission or the professional standards setting body, as the case may be:

Provided that in respect of time duration, a student pursuing academic qualifications under the Academic Bank of Credits facility may, after earning the stipulated credits, avail a relaxation of a maximum of one semester, provided the duration of the course or programme is of two-years or more (Four semesters or more).
- (12) A Registered Higher Education Institution may fix its Course fee based on the number of credits of a course for which the student is enrolled.
- (13) The Higher Education Institution shall pay a fee for registration as an eligible institution under these regulations, which shall be determined with the prior approval of the Central Government or the Commission, as the case may be.

- 9. Monitoring, support and Quality assurance by Universities and ABC.-** (1) It shall be the responsibility of Registered Higher Education Institutions, to monitor the development and operationalisation of the Academic Bank of Credits programme at the university level and at the level of their affiliated autonomous colleges.
- (2) Registered Higher Education Institutions shall offer teacher or staff training, mentoring, academic and administrative audit and other measures for improving the quality of performance of the Academic Bank of Credits facility and promotion of holistic/multidisciplinary education with the support of Academic Bank of Credits, which may be in the form of Faculty Development Programmes or Quality Improvement Programmes or Professional Development Programmes or Technology Inculcation Programmes.
- (3) The Quality assurance of the implementation of Academic Bank of Credits at the level of the registered university or autonomous college shall be developed by the University or autonomous college concerned either through the Internal Quality Assurance Cell (IQAC) or any other appropriate structured mechanism as may be decided by the Registered Higher Education Institution.
- (4) Every Registered Higher Education shall upload, annually, on its website, a report of its activities *vis a vis* the Academic Bank of Credits, as well as of measures taken by it for Quality assurance, Quality sustenance and Quality enhancement.
- (5) There shall be an Academic Bank of Credits-Grievance Redressal Mechanism at the level of Central Government/University Grants Commission/Academic Bank of Credits, and at the level of every Higher Education Institution registered with Academic Bank of Credits to address the grievance/appeals of students.
- 10. Consequences of violation.-** Where a Registered Higher Education Institution fails to fulfil the conditions or requirements prescribed under these regulations, the Commission may, after providing a reasonable opportunity of being heard, direct the institution to rectify the deficiency within such period of time as may be stipulated by the Commission and on failure on the part of the Higher Education Institution to do so, terminate the registration of such institution from Academic Bank of Credits and, in addition, cease to provide grants under the Act, where such grants are admissible to the institution.
- 11. Interpretation.-** Any question as to the interpretation of these Regulations shall be decided by the Commission, and its decision shall be final and binding in the matter.

Prof. RAJNISH JAIN, Secy., UGC

[ADVT.-III/4/Exty./167/2021-22]